पत्रांक– 1394 /प्राधि0

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

अत्यावश्यक
अस्पतालों में अग्नि आपदा से निपटने हेतु आवश्यक सलाह

प्रेषक,

सचिव
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार।

पटना,दिनांक–20/10/2016

विषय :– उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल में हुए अग्निकांड के संदर्भ में बिहार राज्य के सभी सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा एवं निषेधात्मक उपायों को लागू किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल में दिनांक 17.10.2016 को आग लगने से बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार झुलस गये और कई मरीजों की मौत हो गयी। प्रथमदृष्टया माना जा रहा है कि आग लगने का कारण अस्पताल के प्रथम तल पर स्थित डायलिसिस वार्ड में बिजली के शार्ट सर्किट से लगी। जिस समय आग लगी लगभग पांच सौ मरीज एवं उनके तीमारदार उस अस्पताल में मौजूद थे।

2. यह घटना देश के किसी अस्पताल में आग की पहली घटना नहीं हैं। इसके पूर्व भी दिनांक 09.09.2011 को कोलकाता के आमरी अस्पताल में आग की बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 90 लोगों (मुख्यतः मरीजों) की मृत्यु हुई थी। सभी मरीजों को बाहर नहीं निकाला जा सका था चूकि बिल्डिंग वातानुकूलित होने के कारण सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, अतः अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई।

3. आमरी अस्पताल में घटी दुर्घटना से सबक लेते हुए वर्ष 2012–13 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से अस्पतालों में अग्निकांड से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गयी थी। उक्त प्रक्रिया की प्रति स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट www.health.bihar.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

4. आमरी अस्पताल की अग्नि आपदा के उपरांत भुवनेश्वर में घटित आपदा के परिप्रेक्ष्य में हमें सबक लेने की आवश्यकता है। प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया गया है कि पूरे राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों का Fire Audit कराया जाए एवं तदनुसार अग्नि आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी की गहन समीक्षा कर ली जाए। अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने जिलों में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:–

(i) मानक संचालन प्रक्रियानुसार राज्य के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में Fire Audit कराकर सुनिश्चित हो लिया जाय कि अस्पताल अग्नि आपदा से निपटने हेतु तैयार हैं अथवा नहीं। यदि Fire Audit में कोई कमी पायी जाए तो उसे दूर किया जाए।

(ii) सभी प्रमुख अस्पतालों में SOP के अनुसार मॉक–ड्रिल कराने की भी व्यवस्था किया जाए।

5. उपरोक्त Fire Audit तथा मॉक–ड्रिल में जिला अग्निशमन पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग लिया जा सकता है। प्राधिकरण भी इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकेगा।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,
20/10/2016
(यू0 के0 चौबे)
सचिव